रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-07022023-243516
CG-MH-E-07022023-243516

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 7, 2023/माघ 18, 1944
No. 73] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 7, 2023/MAGHA 18, 1944

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 7 फरवरी, 2023

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

[प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] (संशोधन) विनियम, 2023

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/120.— बोर्ड, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 68 की उप-धारा (2) के खंड (च) के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1) एवं (2) तथा धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] (संशोधन) विनियम, 2023 कहा जा सकेगा ।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से तीसवें दिन लागू होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] विनियम, 2018 में,-

I. विनियम 2 में, खंड (i) में,-

क. उप-खंड (छ) के बाद और उप-खंड (ज) से पहले, निम्नलिखित उप-खंड (छक) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(छक) 'बारंबार व्यापारित शेयर' (ऐसे शेयर जिनमें बार-बार ट्रेडिंग होती हो) का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 में इनके लिए दिया हुआ है;"

ख. उप-खंड (ञ) हट जाएगा;

ग. उप-खंड (ठ) के बाद और उप-खंड (ड) से पहले, निम्नलिखित उप-खंड (ठक) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(ठक) "सेक्रेटेरियल ऑडिटर" का अर्थ है - वह ऑडिटर (लेखापरीक्षक), जिसकी परिभाषा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ ऑफ इंडिया) द्वारा जारी किए गए सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स - I में दी हुई है;" ।

II. विनियम 4 में,-

क. खंड (i) में,

i. चिह्नों तथा शब्दों ", कंपनी के एकल तथा समेकित दोनों वित्तीय विवरणों के आधार पर," के स्थान पर चिह्न तथा शब्द ", कंपनी के एकल या समेकित वित्तीय विवरणों (जिनके भी अनुसार रकम कम हो) के आधार पर," आ जाएंगे;

ii. स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण आ जाएगा, अर्थात्:-

"***स्पष्टीकरण:*** किसी एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम पच्चीस प्रतिशत इक्विटी शेयरों को क्रय द्वारा वापस लिया जाएगा (बाय-बैक किया जाएगा), और जिसका अर्थ उस वित्तीय वर्ष में कंपनी की कुल समादत्त इक्विटी पूँजी के संदर्भ में लगाया जाएगा ।"

ख. खंड (ii) में,-

i. उप-खंड (क) और उप-खंड (ख) में, शब्दों "कंपनी के एकल तथा समेकित दोनों वित्तीय विवरणों" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "कंपनी के एकल या समेकित वित्तीय विवरणों (जिनके भी अनुसार रकम कम हो)," आ जाएंगे;

ग. खंड (iv) में,-

i. उप-खंड (ग) हट जाएगा;

ii. परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक आ जाएंगे, अर्थात्:-

"**परंतु यह कि** स्टॉक एक्सचेंजों के जरिए खुले बाजार (ओपन मार्केट) से किया जाने वाला बाय-बैक, कंपनी के एकल या समेकित वित्तीय विवरणों (जिनके भी अनुसार रकम कम हो) के आधार पर:-

(i) 31 मार्च, 2023 तक कंपनी की समादत्त पूँजी (पेड-अप कैपिटल) और खुली आरक्षितियों (फ्री रिज़र्व्स) के पंद्रह प्रतिशत से कम होगा;

(ii) 31 मार्च, 2024 तक कंपनी की समादत्त पूँजी (पेड-अप कैपिटल और खुली आरक्षितियों (फ्री रिज़र्व्स) के दस प्रतिशत से कम होगा;

(iii) 31 मार्च, 2025 तक कंपनी की समादत्त पूँजी (पेड-अप कैपिटल और खुली आरक्षितियों (फ्री रिज़र्व्स) के पाँच प्रतिशत से कम होगा:

परंतु यह और कि 1 अप्रैल, 2025 से स्टॉक एक्सचेंजों के जरिए खुले बाजार से बाय-बैक की अनुमति नहीं होगी ।"

III. विनियम 5 में,

क. खंड (i) में,

i. शब्द "या ऑड लॉट के माध्यम से" हट जाएंगे;

ii. उप-खंड (ख) के बाद दिए हुए परंतुक में, शब्दों "कंपनी के एकल तथा समेकित दोनों वित्तीय विवरणों" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "कंपनी के एकल या समेकित वित्तीय विवरणों (जिनके भी अनुसार रकम कम हो)," आ जाएंगे;

iii. उप-खंड (ख) के बाद दिए हुए परंतुक के बाद निम्नलिखित उप-खंड (ग) और स्पष्टीकरण जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

"(ग) यदि उधारदाता (उधारदाताओं) के साथ किए गए किसी करार आदि का उल्लंघन हो रहा हो, तो ऐसे में इसने अपने उधारदाता (उधारदाताओं) से पूर्व सहमति ले ली हो ।

स्पष्टीकरण: कंपनी द्वारा इन विनियमों के अनुसार तैयार किए जाने वाले प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) में इसका खास तौर पर उल्लेख किया जाएगा कि कंपनी द्वारा अपने उधारदाता (उधारदाताओं) से सहमति ले ली गई है ।"

ख. खंड (v) में, शब्दों "सात दिनों" के स्थान पर शब्द "सात कार्य-दिवसों" आ जाएंगे;

ग. खंड (vi) के बाद और खंड (vii) से पहले निम्नलिखित खंड (viक) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(viक) यदि बाय-बैक शेयर सौंपने का प्रस्ताव लाकर (टेंडर ऑफर के माध्यम से) किया जा रहा हो, तो ऐसे में कंपनी का निदेशक मंडल, रिकॉर्ड तिथि से एक कार्य-दिवस पहले तक, बाय-बैक हेतु अधिकतम कीमत को इस तरह से बढ़ा सकेगा और जितनी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) का बाय-बैक किया जा रहा हो उनकी संख्या इस तरह से घटा सकेगा कि ऐसा करने से बाय-बैक के कुल आकार में कोई बदलाव न आए ।"

घ. खंड (viii) के बाद निम्नलिखित खंड (ix) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(ix) इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, बोर्ड के पास प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही प्रस्तुत किए जाएंगे और जो कंपनी सचिव (कंपनी सेक्रेटरी) या कंपनी के बोर्ड द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होंगे ।"

IV. विनियम 7 में,-

क. खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्:-

"(ii) कंपनी खंड (i) के अनुसार सार्वजनिक घोषणा करने के साथ-साथ, बोर्ड और स्टॉक एक्सचेंजों [जहाँ उसके शेयर और अन्य निर्धारित प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों] के पास उस सार्वजनिक घोषणा की एक प्रति (इलेक्ट्रॉनिक रूप में), अनुसूची-V में निर्धारित की गई फीस के साथ, प्रस्तुत करेगी ।"

ख. खंड (ii) के बाद निम्नलिखित खंड (iii) तथा खंड (iv) जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

"(iii) स्टॉक एक्सचेंज सार्वजनिक घोषणा आम जनता के लिए तत्काल प्रसारित करेंगे ।

(iv) सार्वजनिक घोषणा की एक प्रति स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों), मर्चेंट बैंककार (बैंकर) और कंपनी के संबंधित वेबसाइटों पर डलवाई जाएगी ।"

V. विनियम 8 में,-

क. शीर्षक में, शब्द "प्रारूप" हट जाएगा;

ख. खंड (i) में –

i. शब्द तथा चिह्न "सार्वजनिक घोषणा किए जाने से पाँच कार्य-दिवसों के भीतर, बोर्ड के पास निम्नलिखित दाखिल करेगी" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "रिकॉर्ड तिथि से दो कार्य-दिवसों के भीतर, बोर्ड के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगी" आ जाएंगे;

ii. उप-खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड आ जाएगा, अर्थात्:-

"(क) मर्चेंट बैंककार (बैंकर) [जो कंपनी से जुड़ा हुआ न हो] के माध्यम से प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर), जिसमें **अनुसूची-III** के अनुसार जानकारी प्रकट की गई हो ।"

iii. उप-खंड (क) के बाद और उप-खंड (ख) से पहले निम्नलिखित उप-खंड (कक) और स्पष्टीकरण जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

"(कक) मर्चेंट बैंककार (बैंकर) [जो कंपनी से जुड़ा हुआ (सहयुक्त) न हो] द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र (बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए फॉर्म में), जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि बाय-बैक के प्रस्ताव के संबंध में इन विनियमों का पालन किया गया है और यह कि प्रस्ताव-पत्र में इन विनियमों के अनुसार सभी अपेक्षित जानकारी दे दी गई है ।

स्पष्टीकरण: शब्द "जुड़ा हुआ (सहयुक्त)" का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) विनियम, 1992 (समय-समय पर यथा संशोधित) के विनियम 21क में इसके लिए दिया हुआ है ।"

iv. उप-खंड (ग) हट जाएगा;

v. इस प्रकार हटाए गए उप-खंड (ग) के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"***स्पष्टीकरण:*** यदि बाय-बैक शेयर सौंपने का प्रस्ताव लाकर (टेंडर ऑफर के माध्यम से) किया जा रहा हो, तो ऐसे में बोर्ड के पास कोई प्रारूप प्रस्ताव-पत्र (ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर) प्रस्तुत करना जरूरी नहीं होगा ।"

ग. खंड (ii) और उसके परंतुक हट जाएंगे ।

VI. विनियम 9 में,-

क. खंड (ii) में, चिह्नों, शब्दों तथा अंक ", बोर्ड से टिप्पणियाँ प्राप्त होने से पाँच कार्य-दिवसों के भीतर, प्रेषित किए जाएंगे, जो उप-विनियम (i) के अनुसार" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "प्रेषित किए जाएंगे, जो" आ जाएंगे;

ख. खंड (ii) के स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण आ जाएगा, अर्थात्:-

"***स्पष्टीकरण:*** सार्वजनिक घोषणा में यह उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव-पत्र, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में, रिकॉर्ड तिथि से दो कार्य-दिवसों के भीतर प्रेषित किया जाएगा, और यह कि किसी शेयरधारक की ओर से प्रस्ताव-पत्र की कागज़ी प्रति भिजवाए जाने का अनुरोध प्राप्त होने पर कागज़ी प्रति भी प्रदान की जाएगी ।"

ग. खंड (v) में,-

i. शब्दों तथा चिह्न "प्रस्ताव-पत्र प्रेषित किए जाने की तारीख से पाँच कार्य-दिवसों" के स्थान पर शब्द "रिकॉर्ड तिथि से चार कार्य-दिवसों" आ जाएंगे;

घ. खंड (vi) में, शब्द "दस" के स्थान पर शब्द "पांच" आ जाएगा;

ङ. खंड (xi) में,-

i. उप-खंड (क) में,-

(क) शब्द तथा चिह्न "कंपनी," के बाद और शब्दों "विनियमों के तहत अपनी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए" से पहले, शब्द तथा चिह्न "सार्वजनिक घोषणा की तारीख से दो कार्य-दिवसों के भीतर," जोड़े जाएंगे;

(ख) शब्द तथा चिह्न "प्रस्ताव के खुलने तक," हट जाएंगे;

ii. उप-खंड (ग) में,-

(क) शब्दों "निम्नलिखित से मिलकर बनेगा" के बाद चिह्न तथा शब्द "(बशर्ते कि उतना मार्जिन रखा जाए जितना बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए)" जोड़े जाएंगे;

(ख) मद (i) में, शब्दों "अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में जमा नकदी" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "नकदी, जिसमें किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में जमा की गई रकम शामिल है" आ जाएंगे;

(ग) मद (ii) में, शब्दों तथा चिह्नों "मर्चेंट बैंककार (बैंकर) के पक्ष में बैंक गारंटी" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "बैंक गारंटी, जो किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा मर्चेंट बैंककार (बैंकर) के पक्ष में जारी की गई हो" आ जाएंगे;

(घ) मद (iii) में, शब्दों तथा चिह्नों "मर्चेंट बैंककार (बैंकर) के पास जमा स्वीकारयोग्य प्रतिभूतियाँ (उपयुक्त मार्जिन रखते हुए)" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "जमा रखे गए ऐसे इक्विटी शेयर जिनमें बार-बार ट्रेडिंग होती हो (व्यापार होता हो) और जिनका अंतरण (ट्रांसफर) मुक्त रूप से किया जा सके या जमा रखी गई ऐसी अन्य प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) जिनका अंतरण (ट्रांसफर) मुक्त रूप से किया जा सके" आ जाएंगे;

(ङ) मद (iii) के बाद, निम्नलिखित मद (iiiक) और (iiiख) जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:-

"(iiiक) सरकारी प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़), या

(iiiख) गिल्ट फंडों और ओवरनाइट स्कीमों में निवेश करने वाले म्यूचुअल फंडों (निवेश करने वाली पारस्परिक निधियों) की यूनिटें, या"

(च) मद (iv) में, चिह्नों, अंकों तथा शब्द "(i), (ii) और (iii)," के स्थान पर शब्द "उपरोक्त" आ जाएगा;

(छ) उप-खंड (ङ) में, शब्दों तथा चिह्नों "बाय-बैक के अवधि के समाप्त / पूरा होने के पश्चात् तीस दिनों तक" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "बाय-बैक की अवधि के समाप्त होने के बाद तीस कार्य-दिवसों तक या इन विनियमों के तहत सभी बाध्यताओं को पूरा किए जाने तक (जो भी बाद में हो)" आ जाएंगे;

iii. उप-खंड (ङ) के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"***स्पष्टीकरण:*** बैंक गारंटी मर्चेंट बैंककार (बैंकर) द्वारा तब तक नहीं लौटाई जाएगी, जब तक इन विनियमों के तहत सभी बाध्यताएँ पूरी न हो जाएँ ।"

iv. उप-खंड (छ) में, शब्द "बैंक गारंटी या" हट जाएंगे;

v. उप-खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड आ जाएगा, अर्थात्:-

"(ज) जहाँ निलंब खाते (एस्क्रो अकाउंट) का कोई हिस्सा नकदी में न होकर किसी अन्य रूप में हो, वहाँ कंपनी, इन विनियमों के तहत अपनी बाध्यताओं को पूरा करने के उद्देश्य से, जमानत (सिक्यूरिटी) के तौर पर किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के पास नकद रूप में उतनी रकम जमा करेगी जो बाय-बैक के लिए निर्धारित की गई कुल रकम [जो, यथास्थिति, निदेशक मंडल के संकल्प (रेज़ोल्यूश्न) या विशेष संकल्प, में निर्धारित की गई हो] के ढाई प्रतिशत से कम न हो ।"

VII. विनियम 10 में, खंड (ii) में, शब्द "सात" के स्थान पर शब्द "पांच" आ जाएगा;

VIII. विनियम 11 में,-

क. खंड (i) में,-

i. शब्दों तथा चिह्नों "कानूनी लेखापरीक्षक (स्टैट्यूटरी ऑडिटर)" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "सेक्रेटेरियल ऑडिटर" आ जाएंगे;

ii. परंतुक में, शब्दों "सात दिनों" के स्थान पर शब्द "सात कार्य-दिवसों" आ जाएंगे;

iii. स्पष्टीकरण में, शब्दों "पंद्रह दिनों" के स्थान पर शब्द "पंद्रह कार्य-दिवसों" आ जाएंगे और शब्दों "सात दिनों" के स्थान पर शब्द "सात कार्य-दिवसों" आ जाएंगे;

ख. खंड (iii) में, -

i. उप-खंड (ग) में, शब्दों "कानूनी लेखापरीक्षक" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "सेक्रेटेरियल ऑडिटर" आ जाएंगे;

ii. उप-खंड (ग) के बाद दिए हुए शब्द तथा चिह्न "यह प्रमाणपत्र बोर्ड के पास, प्रमाणपत्रों को नष्ट आदि किए जाने से सात दिनों के भीतर, प्रस्तुत किया जाएगा ।" के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण आ जाएगा, अर्थात्:-

"***स्पष्टीकरण:*** यह प्रमाणपत्र बोर्ड के पास, प्रमाणपत्रों को नष्ट आदि किए जाने की तारीख से सात कार्य-दिवसों के भीतर, प्रस्तुत किया जाएगा।"

IX. विनियम 12 हट जाएगा ।

X. विनियम 15 में,—

क. शब्दों "कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि" से पहले चिह्न तथा अंक "(i)" जोड़े जाएंगे;

ख. खंड (i) में, शब्दों "पचास प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "पचहत्तर प्रतिशत" आ जाएंगे;

ग. खंड (i) के बाद निम्नलिखित खंड (ii) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(ii) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि बाय-बैक के लिए निर्धारित की गई कुल रकम [जो, यथास्थिति, निदेशक मंडल के संकल्प (रेज़ोल्यूश्न) या विशेष संकल्प, में निर्धारित की गई हो] के कम से कम चालीस प्रतिशत का इस्तेमाल, निर्धारित की गई कुल समयावधि का आधा समय बीतने से पहले कर लिया जाए ।"

XI. विनियम 16 में,-

क. खंड (i) के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"***स्पष्टीकरण:*** स्टॉक एक्सचेंज के जरिए किए जाने वाले बाय-बैक के प्रयोजनार्थ, संबंधित स्टॉक एक्सचेंज द्वारा एक अलग पटल (विंडो) बनाया जाएगा और जिसे इन विनियमों में निर्धारित की गई समयावधि तक खुला रखा जाएगा ।"

ख. खंड (iv) में, उप-खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड आ जाएगा, अर्थात्:-

"(ग) कंपनी उप-खंड (क) के अनुसार सार्वजनिक घोषणा करने के साथ-साथ, बोर्ड और स्टॉक एक्सचेंजों [जहाँ उसके शेयर और अन्य निर्धारित प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों] के पास उस सार्वजनिक घोषणा की एक प्रति (इलेक्ट्रॉनिक रूप में), अनुसूची-V में निर्धारित की गई फीस के साथ, प्रस्तुत करेगी ।"

ग. खंड (iv) में, उप-खंड (ग) के बाद, निम्नलिखित उप-खंड (गक) और (गख) जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

"(गक) स्टॉक एक्सचेंज सार्वजनिक घोषणा आम जनता के लिए तत्काल प्रसारित करेंगे ।

(गख) सार्वजनिक घोषणा की एक प्रति स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों), मर्चेंट बैंककार (बैंकर) और कंपनी के संबंधित वेबसाइटों पर डलवाई जाएगी ।"

घ. खंड (iv) के उप-खंड (घ) के बाद दिए हुए स्पष्टीकरण के बाद निम्नलिखित खंड (v) एवं (vi) जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

"(v) स्टॉक एक्सचेंजों के जरिए केवल उन्हीं शेयरों का बाय-बैक किया जाएगा जिनमें बार-बार ट्रेडिंग होती हो;

(vi) स्टॉक एक्सचेंजों के जरिए किए जाने वाले बाय-बैक के मामले में, बोली लगाए जाने, कीमत और मात्रा के संबंध में बोर्ड द्वारा लगाई गई पाबंदियाँ लागू होंगी ।"

XII. विनियम 17 में, खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्:-

"(ii) क्रय द्वारा वापस लेने (बाय-बैक) का प्रस्ताव (ऑफर) रिकॉर्ड तिथि से चार कार्य-दिवसों के भीतर ही खोला जाएगा, और:-

(क) यदि बाय-बैक का प्रस्ताव 31 मार्च, 2023 तक खोला जाता है, तो उसे छह महीनों के भीतर बंद कर दिया जाएगा;

(ख) यदि बाय-बैक का प्रस्ताव 1 अप्रैल, 2023 से लेकर 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के दौरान खोला जाता है, तो उसे 66 कार्य-दिवसों के भीतर बंद कर दिया जाएगा; और

(ग) यदि बाय-बैक का प्रस्ताव 1 अप्रैल, 2024 से लेकर 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के दौरान खोला जाता है, तो उसे 22 कार्य-दिवसों के भीतर बंद कर दिया जाएगा:

परंतु यह कि 1 अप्रैल, 2025 से, स्टॉक एक्सचेंज के जरिए खुले बाजार (ओपन मार्केट) से बाय-बैक करने का विकल्प किसी भी कंपनी के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा, हालाँकि जिन मामलों में बाय-बैक का प्रस्ताव 31 मार्च, 2025 तक खोला गया हो उनमें यह विकल्प उपलब्ध रहेगा ।"

XIII. विनियम 20 में,-

क. खंड (i) में, शब्दों "प्रस्ताव के खुलने से पहले" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "सार्वजनिक घोषणा की तारीख से दो कार्य-दिवसों के भीतर" आ जाएंगे;

ख. खंड (ii) में,

i. शब्दों तथा चिह्न "उल्लिखित निलंब खाता," के बाद चिह्न तथा शब्द “(बशर्ते कि उतना मार्जिन रखा जाए जितना बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए)" जोड़े जाएंगे;

ii. उप-खंड (ख) के बाद निम्नलिखित उप-खंड (ग), (घ), (ङ) और (च) जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

"(ग) मर्चेंट बैंककार (बैंकर) के पास जमा रखे गए ऐसे इक्विटी शेयरों के रूप में हो सकेगा जिनमें बार-बार ट्रेडिंग होती हो और जिनका अंतरण (ट्रांसफर) मुक्त रूप से किया जा सके या जमा रखी गई ऐसी अन्य प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के रूप में हो सकेगा जिनका अंतरण (ट्रांसफर) मुक्त रूप से किया जा सके (बशर्ते कि उपयुक्त मार्जिन रखा जाए); या

(घ) सरकारी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के रूप में हो सकेगा; या

(ङ) गिल्ट फंडों और ओवरनाइट स्कीमों में निवेश करने वाले म्यूचुअल फंडों (निवेश करने वाली पारस्परिक निधियों) की यूनिटों के रूप में हो सकेगा, या

(च) उपरोक्त में से किन्हीं दो या दो से अधिक को मिलाकर भी हो सकेगा ।”

ग. खंड (iv) में, उप-खंड (क) में, शब्दों "तीस दिनों" के स्थान पर शब्द "तीस कार्य-दिवसों" आ जाएंगे;

घ. खंड (v) में, शब्दों "बैंक गारंटी के" के स्थान पर शब्द "नकदी में न होकर किसी अन्य" आ जाएंगे ।

XIV. विनियम 21 में,-

क. खंड (ii) में, शब्दों "पंद्रह दिनों" के स्थान पर शब्द "पंद्रह कार्य-दिवसों" आ जाएंगे;

ख. खंड (iii) में, शब्दों "कानूनी लेखापरीक्षक" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "सेक्रेटेरियल ऑडिटर" आ जाएंगे;

ग. खंड (iii) के परंतुक में, शब्दों "सात दिन" के स्थान पर शब्द "सात कार्य-दिवसों" आ जाएंगे ।

XV. विनियम 22 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्:-

“22. कोई कंपनी अपनी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के मौजूदा धारकों (होल्डर्स) से, बही-निर्माण (बुक बिल्डिंग) प्रक्रिया के माध्यम से, अपने शेयरों या अन्य निर्धारित प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस ले (का बाय-बैक कर) सकेगी ।”

XVI. विनियम 22 के बाद, निम्नलिखित विनियम 22क, 22ख, 22ग, 22घ एवं 22ङ जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

“सार्वजनिक घोषणा के संबंध में प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) संबंधी अपेक्षाएँ, दस्तावेज आदि दाखिल किए जाने संबंधी अपेक्षाएँ और समय-सीमाएँ:

22क. (i) जिस कंपनी को, यथास्थिति, विशेष संकल्प (स्पेशल रेज़ोल्यूशन) या निदेशक मंडल द्वारा पारित किए गए संकल्प के अनुसार प्राधिकृत किया गया हो, वह, यथास्थिति, निदेशक मंडल या शेयरधारकों द्वारा

मंजूरी प्रदान किए जाने की तारीख से दो कार्य-दिवसों के भीतर एक मर्चेंट बैंकाकर (बैंकर) को नियुक्त करेगी और एक सार्वजनिक घोषणा करेगी ।

(ii) सार्वजनिक घोषणा में **अनुसूची-II** के अनुसार जानकारी प्रकट (डिस्क्लोज़) की जाएगी ।

(iii) बही-निर्माण (बुक बिल्डिंग) की प्रक्रिया सार्वजनिक घोषणा की तारीख से सात कार्य-दिवसों के भीतर शुरू हो जाएगी ।

(iv) सार्वजनिक घोषणा में इसका विस्तार से उल्लेख होगा कि **अनुसूची-VI** के अनुसार बाय-बैक के प्रस्ताव के खुलने से पहले दी जाने वाली सूचना किस प्रकार दी जाएगी ।

प्रस्ताव की प्रक्रिया:

22ख. (i) बाय-बैक का प्रस्ताव लाने वाली कंपनी बाय-बैक हेतु अधिकतम कीमत (जो मूल्य दायरे के अनुसार अधिकतम कीमत होगी और जिसकी यथास्थिति, कंपनी के निदेशक मंडल या उसके शेयरधारकों द्वारा मंजूरी दी जाएगी) और कंपनी के शेयरों या अन्य निर्धारित प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) का बही मूल्य (बुक वैल्यू) प्रकट करेगी ।

(ii) कंपनी बाय-बैक शुरू होने की तारीख को ऑफर (प्रस्ताव) के खुलने की घोषणा प्रकाशित करेगी ।

(iii) जिन प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में बार-बार ट्रेडिंग होती हो उनके मामले में, मूल्य दायरे की न्यूनतम कीमत उस कीमत से कम नहीं होगी जो निम्नलिखित में से सबसे अधिक हो:

(क) नोटिस की तारीख (**अनुसूची-VI** के अनुसार) को कंपनी की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) का बंद भाव; और

(ख) निदेशक मंडल की जिस बैठक में बाय-बैक को मंजूरी प्रदान की गई हो, उस बैठक की सूचना जारी किए जाने की तारीख से पहले के पंद्रह व्यापार (ट्रेडिंग) के दिनों में कंपनी के शेयरों या अन्य निर्धारित प्रतिभूतियों की वॉल्यूम वेटिड एवरेज प्राइस (मात्रा भारित औसत बाजार कीमत) ।

(iv) जिन प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में बार-बार ट्रेडिंग न होती हो उनके मामले में, मूल्य दायरे की न्यूनतम कीमत कंपनी की प्रतिभूतियों की कीमत [जो किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक (वैल्यूअर) की रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित की गई हो] से कम नहीं होगी।

(v) बाय-बैक हेतु कीमत शेयरधारकों की ओर से मूल्य दायरे के भीतर अलग-अलग कीमतों पर लगाई गई बोलियों के आधार पर ही तय होगी ।

शेयरों या अन्य निर्धारित प्रतिभूतियों के धारकों को भुगतान:

22ग. (i) शेयरों या अन्य निर्धारित प्रतिभूतियों के धारकों को भुगतान बाय-बैक के प्रस्ताव के बंद होने की तारीख से पांच कार्य-दिवसों की अवधि के भीतर कर दिया जाएगा ।

छोटे निवेशकों और संप्रवर्तक (प्रोमोटर) की भागीदारी:

22घ. (i) छोटे निवेशकों के पास बाय-बैक हेतु निर्धारित कीमत पर बोली लगाने का विकल्प होगा ।

स्पष्टीकरण: इस अध्याय के प्रयोजनार्थ, 'छोटे निवेशकों' का अर्थ है – प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के ऐसे धारक (होल्डर), जिनके पास कंपनी के दो लाख रुपये तक के मूल्य (**अनुसूची-VI** में जिस "निर्धारित तारीख" का जिक्र है, उस तारीख को शेयरों या अन्य निर्धारित प्रतिभूतियों का जो बंद भाव होगा उसके आधार पर) के शेयर या अन्य निर्धारित प्रतिभूतियाँ हों ।

(ii) संप्रवर्तकों (प्रोमोटर) और उनके सहयोगियों (असोसिएट) को बही-निर्माण (बुक बिल्डिंग) के जरिए बाय-बैक में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होगी ।

बोलियाँ स्वीकार करने की प्रक्रिया:

22ङ. (i) बाय-बैक का प्रस्ताव कम से कम व्यापार (ट्रेडिंग) के दो दिनों के लिए खुला रखा जाएगा ।

(ii) प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के धारक, मूल्य दायरे के भीतर किसी कीमत पर, कंपनी के कितने भी शेयरों या कितनी भी अन्य निर्धारित प्रतिभूतियों के लिए बोलियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं, किंतु उनकी संख्या संबंधित वर्ग की प्रतिभूतियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी ।

(iii) यदि बाय-बैक के आकार से अधिक बोलियाँ डाली जाएँ, तो ऐसे में:

क. जिस कीमत पर सभी शेयरों का बाय-बैक हो जाए, वही कीमत बाय-बैक हेतु निर्धारित कीमत होगी; और

ख. बाय-बैक हेतु निर्धारित कीमत पर या उससे कम कीमत पर सौंपे गए शेयरों या सौंपी गई अन्य निर्धारित प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को बाय-बैक हेतु निर्धारित कीमत पर और प्राप्त बोलियों के आकार के अनुपात में स्वीकार किया जाएगा ।

(iv) यदि बाय-बैक के आकार से कम बोलियाँ डाली जाएँ, तो ऐसे में सौंपे गए सभी शेयर या सौंपी गई अन्य सभी निर्धारित प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) सबसे अधिक कीमत पर लगाई गई बोली पर स्वीकार की जाएंगी ।

(v) एक बार सार्वजनिक घोषणा कर दिए जाने के बाद बाय-बैक को न तो वापस लिया जाएगा और न ही निरस्त किया जाएगा, और लगाई गई बोलियाँ वापस नहीं ली जाएंगी।"

XVII. विनियम 24 में,-

क. खंड (iv) में, शब्दों "सात दिनों" के स्थान पर शब्द "सात कार्य-दिवसों" आ जाएंगे;

ख. खंड (vi) में, शब्दों "दो दिनों" के स्थान पर शब्द "दो कार्य-दिवसों" आ जाएंगे।

XVIII. विनियम 25 में, खंड (x) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्:-

"(x) बाय-बैक की अवधि के समाप्त होने की तारीख से पंद्रह कार्य-दिवसों के भीतर बोर्ड के पास एक अंतिम रिपोर्ट (इलेक्ट्रॉनिक रूप में) प्रस्तुत कर दी जाए ।"

XIX. अनुसूची-I में, खंड (xi) के बाद निम्नलिखित खंड (xii) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(xii) उस मामले में कंपनी के उधारदाता (उधारदाताओं) से पूर्व सहमति लिए जाने की जानकारी, जहाँ उधारदाता (उधारदाताओं) के साथ किए गए किसी करार आदि का उल्लंघन हो रहा हो ।"

XX. अनुसूची-II में, शीर्षक में, शब्द तथा चिह्न "और ऑड लॉट (होल्डर्स) से" हट जाएंगे ।

XXI. अनुसूची-III में, शीर्षक में, शब्द तथा चिह्न "और ऑड लॉट धारकों (होल्डर्स) से" हट जाएंगे ।

XXII. अनुसूची-V में, पहले पैरा में, शब्दों "सार्वजनिक घोषणा की प्रति" के बाद और शब्दों "प्रस्तुत करते समय" से पहले चिह्न तथा शब्द "(इलेक्ट्रॉनिक रूप में)" जोड़े जाएंगे ।

XXIII. अनुसूची-V के बाद निम्नलिखित अनुसूची-VI जोड़ी जाएगी, अर्थात:-

"अनुसूची-VI

प्रस्ताव (ऑफर) खोले जाने से पहले अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

[विनियम 22क]

I. बाय-बैक शुरू होने की तारीख से ठीक एक दिन पहले शाम 5 बजे तक स्टॉक एक्सचेंजों को एक सूचना ("नोटिस") भेजी जाएगी ।

II. नोटिस की तारीख ("निर्धारित तारीख") से ठीक दो कार्य-दिवस पहले उन शेयरधारकों को ईमेल और एसएमएस के जरिए सूचना भेजी जाएगी जिनके रिकॉर्ड निक्षेपागारों (डिपॉज़िटरीज़) के यहाँ दर्ज हों ।"

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./598/2022-23]

<u>**पाद टिप्पण**</u> **:**

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एन.आर.ओ./जीएन/2018/32 द्वारा, 11 सितम्बर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] विनियम, 2018 तत्पश्चात्:

क) 29 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/26, द्वारा,

ख) 19 सितम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जीएन/2019/33, द्वारा,

ग) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा

संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 7th February, 2023

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2023

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/120.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 11 and section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with clause (f) of sub-section (2) of section 68 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, namely:-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) (Amendment) Regulations, 2023.

2. They shall come into force on the thirtieth day from the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, -

I. in regulation 2, in clause (i), —

a. after sub-clause (g) and before sub-clause (h), the following sub-clause (ga) shall be inserted, namely:—

“(ga) ‘frequently traded shares’ shall have the same meaning as assigned to them under the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;”

b. sub-clause (j) shall be omitted;

c. after sub-clause (l) and before sub-clause (m), the following sub-clause (la) shall be inserted, namely:—

“(la)‘secretarial auditor’ means an auditor as defined in the Secretarial Standards – I issued by the Institute of Company Secretaries of India;”.

II. In regulation 4, —

a. in clause (i),

i. the words and symbol “, based on both standalone and consolidated financial statements of the company”, shall be substituted by the words and symbol “, based on the standalone or consolidated financial statements of the company, whichever sets out a lower amount”;

ii. the Explanation shall be substituted by the following, namely:—

"***Explanation*:** In respect of the number of equity shares bought back in any financial year, the maximum limit shall be twenty-five per cent and be construed with respect to the total paid-up equity share capital of the company in that financial year."

b. in clause (ii), —

i. in sub-clause (a) and sub-clause (b), the words "both standalone and consolidated financial statements of the company", shall be substituted by the words and symbol "the standalone or consolidated financial statements of the company, whichever sets out a lower amount";

c. in clause (iv),—

i. sub-clause (c) shall be omitted;

ii. the proviso shall be substituted by the following provisos, namely:—

"**Provided** that the buy-back from the open market through stock exchanges, based on the standalone or consolidated financial statements of the company, whichever sets out a lower amount, shall be less than:—

(i) fifteen per cent of the paid up capital and free reserves of the company till March 31, 2023;

(ii) ten per cent of the paid up capital and free reserves of the company till March 31, 2024;

(iii) five per cent of the paid up capital and free reserves of the company till March 31, 2025:

Provided further that buy-back from the open market through the stock exchange shall not be allowed with effect from April 1, 2025."

III. In regulation 5, —

a. in clause (i),

i. the words "or odd lot" shall be omitted;

ii. in the proviso appearing after sub-clause (b), the words and symbol ", based on both standalone and consolidated financial statements of the company", shall be substituted by the words and symbol ", based on the standalone or consolidated financial statements of the company, whichever sets out a lower amount";

iii. after the proviso appearing after sub-clause (b), the following sub-clause (c) and Explanation shall be inserted, namely:—

"(c). It has obtained the prior consent of its lenders in case of a breach of any covenant with such lender(s).

Explanation: The letter of offer to be prepared by the company in accordance with these regulations shall contain a specific disclosure of the consent obtained by the company from its lender(s)."

b. in clause (v), the words "seven days" shall be substituted by the words "seven working days";

c. after clause (vi) and before clause (vii), the following clause (via) shall be inserted, namely: —

"(via) In case of a buy-back through tender offer, the Board of Directors of the company may, till one working day prior to the record date, increase the maximum buy-back price and decrease the number of securities proposed to be bought back, such that there is no change in the aggregate size of the buy-back."

d. after clause (viii), the following clause (ix), shall be inserted, namely:—

"(ix) For the purpose of these regulations, all the filings to the Board shall be made only in electronic mode after being digitally signed by the company secretary or the person authorized by the board of the company."

IV. In regulation 7, —

a. clause (ii) shall be substituted by the following, namely: —

"(ii) The company shall, simultaneously with the public announcement made in terms of clause (i), along with the fees specified in Schedule V, file a copy of the public announcement in electronic mode, with the Board and the stock exchanges on which its shares or other specified securities are listed."

b. after the substituted clause (ii), the following clauses (iii) and (iv) shall be inserted, namely:—

"(iii) The stock exchanges shall forthwith disseminate the public announcement to the public.

(iv) A copy of the public announcement shall be placed on the respective websites of the stock exchange(s), merchant banker and the company."

V. In regulation 8,—

a. in the heading, the word "draft" shall be omitted;

b. in clause (i)—

i. the words "five working days of the public announcement file the following", shall be substituted by the words and symbol "two working days from the record date, file the following in electronic mode";

ii. sub-clause (a) shall be substituted by the following namely:—

"(a) a letter of offer, containing disclosures as specified in **Schedule III,** through a merchant banker who is not an associate of the company."

iii. after sub-clause (a) and before sub- clause (b), the following sub-clause (aa) and the Explanation shall be inserted, namely:—

"(aa) a certificate in the form specified by the Board, issued by the merchant banker, who is not an associate of the company, certifying that the buy-back offer is in compliance of these regulations and that the letter of offer contains the information required under these regulations.

Explanation: The term "associate" shall have the meaning assigned to it in regulation 21A of the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992, as amended from time to time."

iv. sub-clause (c) shall be omitted;

v. After the omitted sub-clause (c), the following Explanation shall be inserted, namely:—

"***Explanation:*** In case of buy-back through tender offer, no draft letter of offer is required to be filed with the Board."

c. clause (ii) and the provisos thereto shall be omitted.

VI. In regulation 9,—

a. in clause (ii), the words and symbols "as per sub regulation (i), not later than five working days from the receipt of communication of comments from the Board", shall be omitted;

b. the Explanation to clause (ii) shall be substituted by the following, namely:—

"***Explanation:*** The public announcement shall disclose that the dispatch of the letter of offer, shall be through electronic mode in accordance with the provisions of the Companies Act, within two working days from the record date and that in the case of receipt of a request from any shareholder to receive a copy of the letter of offer in physical form, the same shall be provided."

c. in clause (v), —

i. the words "five working days from the date of dispatch of the letter of offer" shall be substituted by the words "four working days from the record date";

d. in clause (vi), the word "ten", shall be substituted by the word "five";

e. in clause (xi), —

i. in sub-clause (a), —

(a) after the words and symbol "company shall," and before the words "as and by way of," the words and symbol "within two working days of the public announcement," shall be inserted;

(b) the words and symbol "on or before the opening of the offer," shall be omitted;

ii. in sub-clause (c),—

(a) after the word "shall" and before the word "consist", the words and symbols ", subject to appropriate margin as specified by the Board," shall be inserted;

(b) in point (i), the words "cash deposited with a scheduled commercial bank" shall be substituted with the words "cash including bank deposits deposited with any scheduled commercial bank";

(c) in point (ii), the words "in favour of the merchant banker" shall be substituted by the words "issued in favour of the merchant banker by any scheduled commercial bank";

(d) in point (iii), the words and symbol "acceptable securities with appropriate margin, with the merchant banker" shall be substituted by the words "frequently traded and freely transferable equity shares or other freely transferable securities";

(e) after point (iii), the following points (iiia) and (iiib) shall be inserted namely:—

"(iiia) government securities, or

(iiib) units of mutual funds invested in gilt funds and overnight schemes, or"

(f) in point (iv), the alphabets and symbols "(i), (ii) and (iii)" shall be substituted by the word "above";

(g) in sub-clause (e), the words "thirty days after the expiry of buy-back period" shall be substituted by the words and symbol "thirty working days after the expiry of buy-back period or until the completion of all obligations under these regulations, whichever is later";

iii. after sub-clause (e), the following Explanation shall be inserted, namely:—

"***Explanation:*** The bank guarantee shall not be returned by the merchant banker until the completion of all obligations under these regulations."

iv. in sub-clause (g), the words "bank guarantee or" shall be omitted;

v. sub-clause (h) shall be substituted by the following, namely:—

"(h) Where part of the escrow account is in a form other than cash, the company shall deposit with a scheduled commercial bank, in cash, a sum of not less than two and half per cent of the total amount earmarked for buy-back as specified in the resolution of the Board of Directors or the special resolution, as the case may be, as security for the fulfilment of its obligations under the regulations."

VII. in regulation 10, in clause (ii), the word "seven", shall be substituted by the word "five";

VIII. in regulation 11,—

a. In clause (i), —

i. the words "registrar to issue" shall be substituted by the words "registrar to an issue" and the words "Statutory Auditor", shall be substituted by the words "secretarial auditor";

ii. in the proviso, the words "seven days" shall be substituted by the words "seven working days";

iii. in the Explanation, the words "fifteen days" shall be substituted by the words "fifteen working days" and the words "seven days" shall be substituted by the words "seven working days";

b. In clause (iii),—

i. in sub-clause (c), the words "Statutory Auditor" shall be substituted by the words "secretarial auditor";

ii. the words and symbol "This certificate shall be furnished to the Board within seven days of extinguishment and destruction of the certificates.", appearing after sub-clause (c), shall be substituted with the following Explanation namely:—

"***Explanation:*** This certificate shall be furnished to the Board within seven working days of the extinguishment and destruction of the certificates."

IX. Regulation 12 shall be omitted.

X. in regulation 15,—

a. the existing text shall be numbered as clause (i);

b. in clause (i), the words "fifty per cent", shall be substituted by the words "seventy-five per cent";

c. after clause (i), the following clause (ii) shall be inserted, namely:—

"(ii) The company shall ensure that at a minimum of forty per cent of the amount earmarked for the buy-back, as specified in the resolution of the Board of Directors or the special resolution, as the case may be, is utilized within the initial half of the specified duration."

XI. in regulation 16,—

a. after clause (i), the following Explanation shall be inserted, namely:—

"***Explanation:*** For the purpose of buy-back through stock exchange, a separate window shall be created by the concerned stock exchange and such window shall remain open for the period specified in these regulations."

b. in clause (iv), sub-clause (c) shall be substituted by the following namely:—

"(c) The company shall, simultaneously with the public announcement made in terms of sub-clause (a), along with the fees specified in Schedule V, file a copy of the public announcement in electronic mode with the Board and the stock exchanges on which its shares or other specified securities are listed."

c. in clause (iv), after sub-clause (c), the following sub-clauses (ca) and (cb) shall be inserted, namely:—

"(ca) The stock exchanges shall forthwith disseminate the public announcement to the public.

(cb) A copy of the public announcement shall be placed on the respective websites of the stock exchange(s), merchant banker and the company."

d. after the Explanation appearing after sub-clause (d) of clause (iv), the following clauses (v) and (vi) shall be inserted, namely:—

"(v) The buy-back through stock exchanges shall be undertaken only in respect of frequently traded shares;

(vi) The buy-back through stock exchanges shall be subject to the restrictions on placement of bids, price and volume as specified by the Board."

XII. in regulation 17, clause (ii) shall be substituted by the following, namely:—

"(ii) the buy-back offer shall open not later than four working days from the record date and shall close:-

(a) within six months, if the buy-back offer is opened on or before March 31, 2023;

(b) within 66 working days, if the buy-back offer is opened on or after April 1, 2023 and till March 31, 2024; and

(c) within 22 working days, if the buy-back offer is opened on or after April 1, 2024 and till March 31, 2025:

Provided that with effect from April 1, 2025, the option of open market buy-back through the stock exchange shall not be available to any company except in cases where the buy-back offer has opened on or before Mach 31, 2025."

XIII. In regulation 20,—

a. in clause (i), the words "before opening of the offer", shall be substituted by the words "within two working days of the public announcement";

b. in clause (ii),

i. After the word "may be" and before the words "in the form", the words and symbols ", subject to appropriate margin as specified by the Board," shall be inserted;

ii. After sub-clause (b), the following sub-clauses (c), (d), (e) and (f) shall be inserted, namely:—

"(c) deposit of frequently traded and freely transferable equity shares or other freely transferable securities with appropriate margin with the merchant banker; or

(d) government securities; or

(e) units of mutual funds invested in gilt funds and overnight schemes; or

(f) a combination of the above."

c. In clause (iv), in sub-clause (a), the words "thirty days" shall be substituted by the words "thirty working days";

d. In clause (v), the words "of a bank guarantee" shall be substituted by the words "other than cash".

XIV. in regulation 21,—

a. in clause (ii), the words "fifteen days", shall be substituted by the words "fifteen working days";

b. in clause (iii), the words "Statutory Auditor" shall be substituted by the words "secretarial auditor";

c. in the proviso to clause (iii), the words "seven days" shall be substituted by the words "seven working days".

XV. regulation 22 shall be substituted by the following, namely:—

"22. A company may buy-back its shares or other specified securities from its existing securities holders through the book building process."

XVI. After regulation 22, the following regulations 22A, 22B, 22C, 22D and 22E shall be inserted namely:—

"**Disclosures, filing requirements and timelines for public announcement:**

22A (i) The company, which has been authorised by a special resolution or a resolution passed by its Board of Directors, as the case may be, shall appoint a merchant banker and make a public

announcement within two working days from the date of the approval of Board of Directors or of the shareholders, as the case may be.

(ii) The disclosures in the public announcement shall be made in accordance with **Schedule II.**

(iii) The book building process shall commence within seven working days from the date of the public announcement.

(iv) The public announcement shall contain the detailed methodology pertaining to intimation required to be made prior to the opening of the buy-back offer as specified in **Schedule- VI.**

Offer procedure:

22B (i) The company making the buy-back offer shall disclose the maximum buy-back price, being the upper end of the price range, as approved by the Board of Directors of the company or its shareholders, as the case may be and the book value of the shares or other specified securities of the company.

(ii) The company shall publish the offer opening announcement on the date of commencement of the buy-back.

(iii) In case of frequently traded securities, the lower end of the price range shall not be less than the higher of:

(a) the closing price of the securities of the company on the date of the Notice as specified in **Schedule- VI**; and

(b) the volume weighted average market price of the shares or other specified securities of the company in the fifteen trading days prior to the date of the intimation of the meeting of the Board of Directors approving the buy-back.

(iv) In case of infrequently traded securities, the lower end of the price range shall not be less than the price of the securities of the company determined on the basis of the report of a registered valuer.

(v) The buy-back price shall depend upon the price discovered through the bids received from the shareholders within the price range.

Payment to holders of shares or other specified securities:

22C (i) The payment of consideration to holders of shares or other specified securities shall be completed within a period of five working days from the date of closure of the buy-back offer.

Retail and Promoter participation

22D (i) Retail investors shall have the option to bid at the buy-back price.

Explanation**:** For the purpose of this Chapter, 'retail investors' means securities holders who hold shares or other specified securities of the company up to two lakh rupees in value calculated on the basis of the closing price as on the identified date as specified in **Schedule- VI**.

(ii) Promoters along with their associates shall not be permitted to participate in buy-back through book building.

Methodology of acceptance of bids:

22E. (i) The buy-back offer shall be kept open for a minimum of two trading days.

(ii) Securities holders can submit bids for any number of shares or other specified securities of the company, not exceeding the total number of securities in the relevant category, at a price within the price range.

(iii) In the event that, the bids are more than the buy-back size:

a. The price at which hundred per cent of the buy-back size is reached shall be the buy-back price; and

b. shares or other specified securities tendered at or below the buy-back price shall be accepted at the buy-back price and in proportion to the size of the bids received.

(iv) In the event that the bids are less than the buy-back size; all the shares or other specified securities tendered shall be accepted at the highest bid price.

(v) Once the public announcement is made, the buy-back shall not be withdrawn or terminated and bids once placed shall not be withdrawn."

XVII. in regulation 24,—

a. in clause (iv), the words "seven days", shall be substituted by the words "seven working days";

b. in clause (vi), the words "two days" shall be substituted by the words "two working days".

XVIII. in regulation 25, clause (x) shall be substituted with the following, namely:—

"(x) a final report in the electronic mode shall be submitted to the Board within fifteen working days from the date of expiry of the buy-back period."

XIX. in Schedule I, after clause (xi), the following clause (xii) shall be inserted namely:—

"(xii) Prior approval obtained from the lenders of the company in case of a breach of any covenant with such lender(s)."

XX. in Schedule II, in the heading, the words "and from odd lot holders" shall be omitted.

XXI. in Schedule III, in the heading, the words "and from odd lot holders" shall be omitted.

XXII. in Schedule V, in the first paragraph, after the words "public announcement" and before the words "to the Board", the words "in electronic mode" shall be inserted.

XXIII. after Schedule V, the following Schedule VI shall be inserted namely:—

"SCHEDULE – VI

METHODLOGY TO BE ADOPTED PRIOR TO THE OPENING OF AN OFFER

[Regulation 22A]

I. An intimation ("Notice") shall be sent to the stock exchanges before 5 pm on the day immediately preceding the date of the commencement of the buy-back.

II. An intimation shall be sent to the shareholders two working days preceding the date of the Notice ("identified date") through email and SMS as per the records of the depositories."

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./598/2022-23]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on September 11, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/32.
2. The Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 were subsequently amended on:

   a) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/26.

   b) September 19, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) (Second Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRD/GN/2019/33.

   c) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA